



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 2017/आषाढ़ 8, 1939

No. 558]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2017/ASADHA 8, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

सा.का.नि. 726(अ).—भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 51 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारण रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 के नियम 27 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियमन, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है भांडागारण परामर्श दात्री समिति से परामर्श करते हुए और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना** – ये विनियम इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के लिए लागू होंगे।
- परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो –

(क) “अधिनियम” से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007(2007 का 37) अभिप्रेत है;

(ख) “नियम” से भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 अभिप्रेत है;

- (ग) “इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद” से इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में जारी भांडागार रसीद अभिप्रेत है;
- (घ) “इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद” से इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में जारी परक्राम्य भांडागार रसीद अभिप्रेत है;
- (ड.) “प्ररूप” से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) “रिपोजिटरी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन और प्रबंधन के लिए प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है;

(छ) “उपयोगकर्ता” से ऐसा निक्षेपकर्ता, धारक, वित्तीय संस्था, कामाडिटी एक्सचेंज, भांडागारपाल अथवा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे रिपोजिटरी सेवाएं प्रदान करती हैं।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें अधिनियम में अथवा नियमों में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उनका अर्थ अधिनियम और नियमों में है।

अध्याय-2

इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की प्रणाली

4. इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का कारोबार करना – (1) प्राधिकरण एक अथवा अधिक रिपोजिटरीज के रजिस्ट्रीकरण के जरिए भांडागारों में जमा माल की जमा शेष को धारित अथवा अंतरण करने की इलेक्ट्रानिक प्रणाली का बढावा, नियमन और विकास करेगा।

(2) प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भांडागार, प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत एक अथवा अधिक रिपोजिटरी के पास नामांकन करेगा और केवल रिपोजिटरी के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेगा।

(3) माल, जिसके लिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी की गई है, के प्रत्येक निक्षेपकर्ता का रिपोजिटरी प्रणाली में ग्राहक खाता होगा।

(4) रिपोजिटरी भांडागार से सूचना प्राप्त होने पर इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में परक्राम्य भांडागार रसीद सृजित और इसका प्रबंध करेगा।

(5) इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्ररूप ‘क’ में होगी।

5. रिपोजिटरी पर इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी किया जाना- (1) भांडागारपाल जमा किए गए माल की गुणवत्ता और मात्रा का सही अवधारण करने और इनकी तथा सभी अन्य सुसंगत सूचना की रिपोजिटरी प्रणाली में प्रविष्टि करने के पश्चात एक अनन्य इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का सृजन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मोबाइल एप्लीकेशन से या प्राधिकरण द्वारा अभिकथित किसी अन्य साधन के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन के बारे में भांडागारपाल और निक्षेपकर्ता को सूचित करेगा तथा इस प्रकार सृजित इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की मुद्रित प्रति, अनुरोध करने पर, निक्षेपकर्ता को दी जाएगी।

6. इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करना अथवा परक्राम्य भांडागार रसीद पर आधारित कागजात को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करना- (1) रिपोजिटरी, प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद अथवा कागजी प्ररूप में जारी विद्यमान परक्राम्य भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करने की प्रणाली लागू करेगा ताकि रिपोजिटरी प्रणाली में इनका प्रबंधन किया जा सके।

(2) निक्षेपकर्ता, इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करने अथवा कागजी प्ररूप में जारी विद्यमान परक्राम्य भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करने के लिए एक अनुरोध रिपोजिटरी अथवा इसके एजेंट को प्रस्तुत करे।

(3) रिपोजिटरी अथवा इसका अभिकर्ता सत्यापन करने के बाद इस अनुरोध को निक्षेपकर्ता को सम्यक् सूचना देने के बाद माल का उनकी गुणवत्ता के रूप में जांच करने के लिए भांडागारपाल को अग्रेषित करेगा:

परन्तु कागज में परक्राम्य भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करने के मामले में माल की जांच करना आज्ञापक न हो।

- (4) भांडागारपाल सभी सुसंगत सूचना की प्रविष्टि करने के बाद एक अनन्य इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद संख्या सृजित करेगा जिसे रिपोजिटरी प्रणाली में अद्यतन किया जाएगा।
- (5) यदि भांडागार में ऐसा माल निक्षेप करने पर इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद जारी की जाती है, जिसकी गुणवत्ता की निर्धारण रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त न हुई हो अथवा जिसका किसी अन्य प्रकार का सत्यापन लंबित हो, इसे ऐसे निर्धारण अथवा सत्यापन के पूर्ण होने पर इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित किया जाएगा।
- (6) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन से अथवा प्राधिकरण द्वारा विहित किसी ऐसे अन्य साधन से इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तन के बारे में निक्षेपकर्ता अथवा भांडागारपाल को सूचित करेगा तथा इस प्रकार सृजित इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की मुद्रित प्रति, अनुरोध करने पर, निक्षेपकर्ता को दी जाएगी।
- (7) भांडागारपाल जब तक माल पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भंडारण में रहेगा तब तक की अवधि के लिए रिकार्ड के प्रयोजनार्थ कागज के प्ररूप में विद्यमान भांडागार रसीद अथवा परक्राम्य भांडागार रसीद का खरखाव करेगा।

7. माल निकालना- (1) जब निक्षेपकर्ता अथवा परक्राम्य भांडागार रसीद धारक माल का परिदान लेना चाहता है तब वह ऐसे माल पर धारणाधिकार, यदि कोई हो, से माल को मुक्त कराएगा और भांडागारपाल की सभी देयताओं का भी भुगतान करेगा।

(2) निक्षेपकर्ता अथवा परक्राम्य भांडागार रसीद का धारक अपने खाते से माल निकालने के लिए रिपोजिटरी अथवा इसके अभिकर्ता के पास अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(3) रिपोजिटरी अथवा उसका अभिकर्ता सम्यक् सत्यापन करने के बाद माल निकालने के अनुरोध को उप-नियम (2) के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में भांडागारपाल को अप्रेषित करेगा।

(4) भांडागारपाल सभी सूचनाओं को विधिमान्य बनाएगा और निक्षेपकर्ता अथवा धारक के माल को जारी करने के अनुरोध पर भांडागारपाल की सभी देयताओं का भुगतान करने के बाद कार्रवाई करेगा।

(5) यदि माल के किसी एक भाग के रूप में परिदान लिया जाता है तो रिपोजिटरी रिकार्ड को अद्यतन करेगा और शेष माल इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में दर्शाया जाएगा।

(6) यदि इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में कवर किए गए माल का परिदान पूर्ण रूप में लिया जाता है तो इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को समाप्त किया जाएगा और सभी इलेक्ट्रानिक प्रणालियों को अद्यतन किया जाएगा।

(7) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अभिकथित अन्य साधन के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की निकासी के बारे में निक्षेपकर्ता अथवा धारक और भांडागारपाल को सूचित करेगा।

8. इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का अंतरण - (1) इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद अपनी वैधता अवधि के दौरान कई धारकों द्वारा रखी जा सकती है।

(2) जब इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का धारक इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना चाहता हो तो इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का धारक अथवा अंतर्निती ऐसे प्रयोजन के लिए रिपोजिटरी अथवा इसके प्रतिभागियों को अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(3) सत्यापन के उपरांत रिपोजिटरी अथवा इसका प्रतिभागी उप-नियमन (2) के अधीन किए गए अनुरोध के बारे में अंतरिती को सूचित करेगा, जो अंतरण की पुष्टि करेगा।

(4) पुष्टि के उपरांत रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक विधि के जरिए अंतरिती के खाते में ऐसी इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद अंतरित करेगा।

(5) रिपोजिटरी प्रणालियां इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के अंतरण के संबंध में अद्यतन की जाएंगी।

(6) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अभिकथित ऐसे अन्य साधन के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के अंतरण के बारे में अंतरणकर्ता और अंतरिती तथा भांडागारपाल को सूचित करेगा।

अध्याय-3**इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को गिरवी रखना**

- 9. इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को गिरवी रखना और गिरवी से मुक्त करना** – (1) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक और गिरवीदार, दोनों द्वारा गिरवी रखे जाने हेतु अनुदेश मिलने पर गिरवीदार के पक्ष में इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद पर गिरवी रखे जाने का चिह्न लगाएगा।
- (2) गिरवीकर्ता और गिरवीदार इलेक्ट्रानिक माध्यम से अथवा जैसे भी रिपोजिटरी के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सूचना प्रदान करेगा ताकि यह बताया जा सके कि इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को गिरवी रखा गया है।
- (3) रिपोजिटरी गिरवीकर्ता, गिरवीदार और भांडागारपाल को इलेक्ट्रानिक माध्यम, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अभिकथित ऐसे अन्य साधन के जरिए गिरवी के बारे में सूचित करेगा।
- (4) ऐसी गिरवी की अवधि के दौरान गिरवीदार का इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में धारणाधिकार होगा।
- (5) भांडागारपाल उन मामलों में भांडागार से रेखांकित माल की परिदान नहीं देगा, जिनमें इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद गिरवी रखी हो।
- (6) रिपोजिटरी, गिरवीदार द्वारा अनुदेश दिए जाने पर गिरवी रखी इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद से गिरवी हटाएगा।

अध्याय-4**प्रकीर्ण**

- 10. गलती अथवा लोप का परिशोधन** – (1) जब इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन के समय रिपोजिटरी की प्रणाली में डाली गई सूचना में कोई गलती हो अथवा सूचना अपूर्ण हो तथा ऐसी गलती अथवा लोप का परिशोधन करने के लिए परिवर्तन आवश्यक हो तब भांडागारपाल रिपोजिटरी के माध्यम से निम्न कार्यवाई करेगा-
- (क) सही और अद्यतन सूचना दर्शाने के लिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तन करना; अथवा
- (ख) मौजूदा इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को रद्द करना; और
- (ग) जहां कहीं आवश्यक हो, सही सूचना के साथ नई इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना।
- (2) रिपोजिटरी जब तक निम्न कार्य करने के लिए आवश्यक न हो तब तक इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में निहित सूचना में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा-
- (क) इस प्रकार की इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रति माल गिरवी, अंतरित अथवा निकासी करने का रिकार्ड करना;
- (ख) इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में गलती अथवा लोप का परिशोधन करना; और
- (ग) इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में ऐसे अन्य उपांतरण करना।
- (3) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अभिकथित ऐसे अन्य साधन के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में ऐसे परिवर्तनों के बारे में इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद धारक और भांडागारपाल को अधिसूचित करेगा।
- 11. इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की सूचना-** प्राधिकरण, इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में सूचना और ऐसी अन्य सूचना आवधिक अंतराल पर प्राधिकरण को भेजने के लिए भांडागारपाल, रिपोजिटरी अथवा इससे संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को निदेश दे सकता है।

प्ररूप क

इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद/इलेक्ट्रॉनिक अपरक्राम्य भांडागार रसीद
[विनियम 4 देखें]

1. रसीद संख्या : तारीख :
2. भांडागार का नाम और डाक का पूरा पता:
3. भांडागार की रजिस्ट्रीकरण संख्या: तक मान्य:
4. जिससे स्टाक प्राप्त किया (निक्षेपकर्ता का नाम और पता):
5. निक्षेपकर्ता का खाता सं. :
6. प्राप्त की गई वस्तुओं का विवरण :

क्रम सं.	वस्तु	गुणवत्ता एवं ग्रेड इत्यादि सहित वस्तु का विवरण	पैकेजों/बोरों की संख्या	मी. टन/क्विंटल में कुल मात्रा	जमा के समय बाजार दर (रुपए)	गोदाम/स्टेक/लाट संख्या

7. पैकेजों पर निक्षेपकर्ता का निजी चिह्न, यदि कोई हो:
8. हैंडलिंग प्रभार की दर :
9. भंडारण प्रभार की दर :
10. संदत्त अग्रिम राशि, यदि कोई हो :
11. आग, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, दुर्विनियोग, बलवा, हड़ताल अथवा आतंकवाद के लिए बीमा:

क्रम सं.	बीमा पॉलिसी का नाम	पॉलिसी संख्या	बीमा धनराशि	बीमा पॉलिसी की विधिमान्यता अवधि से तक	बीमा कंपनी का नाम

12. यह रसीद घोषित पुलिन अवधि के अवसान की तारीख, जो कि.....है, तक विधिमान्य होगी ।

भांडागारपाल/प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

निबंधन और शर्तें

1. प्राप्त माल का परिदान निक्षेपकर्ता या उसके आदेश पर किया जाएगा।
2. निक्षेप किए गए माल के भंडारण और हैंडलिंग के लिए भांडागारपाल धारणाधिकार रखता है।
3. यह रसीद माल की घोषित पुलिन अवधि के अवसान की तारीख तक विधिमान्य है, जिसके लिए यह जारी की गई है।
4. भांडागारपाल का दायित्व भांडागार (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।